



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 167-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019 (ASVINA 9, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अक्टूबर, 2019

संख्या 84/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 105/जीएसटी-2, दिनांक 31 दिसंबर, 2018 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 105/जीएसटी-2, दिनांक 31 दिसंबर, 2018 में, —

- (i) "स्वर्ण", शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, "स्वर्ण, चांदी या प्लेटिनम" शब्द और चिह्न, प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ii) प्रस्तावना में, "शीर्ष 7108" शब्द और अंकों के स्थान पर, "अध्याय 71" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (iii) व्याख्या में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) "अध्याय" से अभिप्राय है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शीर्ष।";

2. यह अधिसूचना प्रथम अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2019

No. 84/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 105/GST-2, dated the 31st December, 2018, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 105/GST-2, dated the 31st December, 2018, -

- (i) for the word “gold”, wherever occurring, the words and symbols, “gold, silver or platinum”, shall be substituted;
 - (ii) in the opening paragraph, for the words and figures, “heading 7108”, the words and figures, “Chapter 71”, shall be substituted;
 - (iii) in the Explanation, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -
“(d) “Chapter” means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975).”.
2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.